

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

114. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के धारा 2 का संशोधन।
5 खंड (10) में, “विमानपत्तन अभिप्रेत है” शब्दों के पश्चात्, “और इसके अंतर्गत उस धारा के खंड (कक) के अधीन किसी विमान वस्तु भाड़ा स्टेशन के रूप में नियत किया गया कोई स्थान भी है” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

115. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (कक) में, “आधान डिपो” शब्दों के स्थान पर, धारा 7 का संशोधन।
“आधान डिपो या विमान वस्तु भाड़ा स्टेशन” शब्द रखे जाएंगे।

1992 का 22

10 116. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 28ककक का अंतःस्थापन।
“28ककक. (1) जहां किसी व्यक्ति को जारी की गई कोई लिखत इस अधिनियम या विदेशी व्यापार (विकास और कतिपय मामलों में विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा — शुल्कों की वसूली।

(क) दुरभिसंधि से ; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या कथन करके ; या

15 (ग) तथ्यों को छिपाकर,

ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा अभिप्राप्त की गई है और ऐसी लिखत का इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन उपयोग उस व्यक्ति से, जिसे लिखत जारी की गई थी, भिन्न व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां लिखत के ऐसे उपयोग के संबंध में शुल्क के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर कभी छूट नहीं दी गई थी या उसे विकलित नहीं किया गया था और ऐसा शुल्क उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, जिसे ऐसी लिखत जारी की गई थी :

20 परंतु यदि इस धारा के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे लिखत जारी की गई थी, शुल्क की वसूली के संबंध में कार्रवाई धारा 28 के अधीन आयातकर्ता के विरुद्ध किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

1992 का 22

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “लिखत” से ऐसी कोई स्क्रिप या प्राधिकार या अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या ऐसा अन्य दस्तावेज, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अधीन किसी पुरस्कार या प्रोत्साहन स्कीम या शुल्क पर छूट दिए जाने की स्कीम या शुल्क को माफ किए जाने की स्कीम या ऐसी अन्य स्कीम के संबंध में, जिसके अधीन वित्तीय या धन संबंधी ऐसे फायदे दिए जाते हैं, जिनका उपयोग इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के उपबंध, इस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, इस प्रकार अभिप्राप्त लिखत के किसी उपयोग के प्रति लागू होंगे, चाहे ऐसी लिखत उसे अनुमति की तारीख के पूर्व जारी की गई हो या नहीं।

(2) जहां शुल्क उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य बन जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिससे ऐसा शुल्क वसूल किया जाना हो, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त धारा 28कक के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियत दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा और ऐसे ब्याज की रकम की संगणना लिखत का उपयोग किए जाने की तारीख से आरंभ होकर ऐसे शुल्क की वसूली की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली के प्रयोजनों के लिए, उचित अधिकारी उस व्यक्ति पर, जिसे लिखत जारी की गई थी, ऐसी सूचना की तामील करेगा, जिसमें उससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम (ब्याज को छोड़कर) उससे वसूल क्यों नहीं की जानी चाहिए और उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् वह उस व्यक्ति से वसूल किए जाने वाले शुल्क या ब्याज या दोनों की ऐसी रकम का अवधारण करेगा, जो सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक की न हो और शुल्क अथवा ब्याज या दोनों की रकम को वसूल करने का आदेश पारित करेगा और वह व्यक्ति, जिसे लिखत जारी की गई थी, सूचना में यथाविनिर्दिष्ट रकम का, उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उस रकम पर शोध्य ब्याज सहित प्रतिसंदाय करेगा, चाहे ब्याज की ऐसी रकम को पृथक्तया विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

(4) जहां शुल्क का अवधारण किए जाने संबंधी कोई आदेश धारा 28 के अधीन पारित किया गया है, वहां उस शुल्क को वसूल किए जाने संबंधी कोई आदेश इस धारा के अधीन पारित नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति उसमें विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर रकम का प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, वहां वह रकम, धारा 142 की उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल की जाएगी ।’।

धारा 28खक का संशोधन।

117. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक की उपधारा (1) में,—

5

(क) “या धारा 28ख” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “या धारा 28ककक या धारा 28ख” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) “या धारा 28ख की उपधारा (2)” शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, “या धारा 28ककक की उपधारा (3) या धारा 28ख की उपधारा (2)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन ।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में,—

10

(क) पहले परंतुक में, “परंतु” शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आयातकर्ताओं का वर्ग या के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे शुल्क का इलैक्ट्रॉनिक रूप में संदाय करेगा :

परंतु यह और कि”;

(ख) दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे ।

15

धारा 75क का संशोधन ।

119. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75क की उपधारा (2) में, “धारा 28कख” शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 28कक” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 8 अप्रैल, 2011 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

120. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) जहां किसी सीमाशुल्क अधिकारी ने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को किसी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से भिन्न) के लिए गिरफ्तार किया है वहां उसे, उस व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं उपबंधों के अधीन होगा, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन हैं और जिनके अध्यक्ष वह हैं।

1974 का 2

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय) जमानतीय होंगे ।

1974 का 2

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के सिवाय), असंज्ञेय होंगे ।

1974 का 2

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे।”।

1974 का 2

नई धारा 104क का अंतःस्थापन।

121. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 104 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

30

धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, लोक अभियोजक को सुने बिना, जमानत का मंजूर न किया जाना।

“104क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक—

1974 का 2

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां मजिस्ट्रेट का यह समाधान न हो गया हो कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह उस अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध किए जाने संभावना नहीं है :

35

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है या स्त्री है या बीमार या शिथिलांग है, यदि मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के बारे में अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो ।”।

40 1974 का 2

122. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 122 में,—

धारा 122 का संशोधन।

- (i) खंड (ख) में, “दो लाख” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख” शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) खंड (ग) में, “दस हजार” शब्दों के स्थान पर, “पचास हजार” शब्द रखे जाएंगे ।

123. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 138 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 138 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

1974 का 2

5

“138. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों से भिन्न) विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्ततः किया जा सकेगा ।”।

अपराधों का संक्षिप्ततः विचारण किया जाना।

124. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 के खंड (क) में, “जिस व्यक्ति के लिए वह आशयित है, उस व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं द्वारा, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाएं,” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन।

1975 का 51

10

125. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 89 के अधीन आने वाली दूसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में नीचे विनिर्दिष्ट मद और उसके वर्णन, उसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और तक, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होंगे और छूट प्राप्त समझे जाएंगे ।

भारत में विदेश जाने वाले जलयानों के आयात पर अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के संबंध में विशेष उपबंध।

15

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

126. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ग की उपधारा (5) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 8ग का संशोधन।

20

“परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी वस्तु का चीन जनवादी गणराज्य से भारत में, आयात किया जाना जारी है जिससे घरेलू उद्योग का बाजार विच्छिन्न होता है या उसकी आशंका है, वहां केंद्रीय सरकार, ऐसे बाजार के विच्छिन्न होने या उसके कारण उत्पन्न होने वाली किसी आशंका के समायोजन मद्दे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उपायों के होते हुए भी, यदि आवश्यक समझती है कि ऐसे शुल्क का अधिरोपण जारी रहना चाहिए तो ऐसे रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि को, उस तारीख से, जिसको ऐसा रक्षोपाय शुल्क पहली बार अधिरोपित किया गया था, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो दस वर्ष से अधिक की अवधि की न हो ।”।

25

127. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन।

128. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा।

दूसरी अनुसूची का संशोधन।